रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266543
CG-DL-E-30092025-266543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947
No. 272] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 44/2025

विषय: **चीन जन.गण.से 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर या नायलॉन से बने बेल्टिंग फैब्रिक के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।**

1. **संख्या 6/49/2025-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन.गण. ("संबद्ध देश") से 80% या अधिक पॉलिएस्टर या नायलॉन से बने बेल्टिंग फैब्रिक (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद बेल्टिंग फ़ैब्रिक है जो 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर या नायलॉन के किसी भी संयोजन से बना है, जिसमें चेफ़र फ़ैब्रिक शामिल नहीं है।

4. इसे रबराइज्ड टेक्सटाइल फ़ैब्रिक (आरटीएफ) या कन्वेयर बेल्ट फ़ैब्रिक (सीबीएफ) के नाम से भी जाना जाता है। बेल्टिंग फ़ैब्रिक विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न, कॉटन, पॉलीप्रोपाइलीन आदि से बनाए जा सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में वे बेल्टिंग फ़ैब्रिक शामिल हैं जिनमें पॉलिएस्टर या नायलॉन किसी भी संयोजन में 80% या उससे अधिक हो।

5. संबद्ध सामानों का कोई समर्पित कोड नहीं है और ये अध्याय 59 सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उपशीर्ष 5906 99 90 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

6. आवेदक ने नीचे दी गई पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।

क्र.सं.	वार्प 1	वार्प 2	वेफ्ट	पीसीएन कोड
1	पॉलिएस्टर	--	पॉलिएस्टर	ईई
2	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	पॉलिएस्टर	ईईई
3	पॉलिएस्टर	--	हाई इलोंगेशन पॉलिएस्टर	ईईएच
4	पॉलिएस्टर	हाई इलोंगेशन पॉलिएस्टर	हाई इलोंगेशन पॉलिएस्टर	ईएचएच
5	पॉलिएस्टर		स्पन पॉलिएस्टर	ईईएस
6	नायलॉन 6	--	नायलॉन 6	एनएन
7	नायलॉन 6	--	स्पन पॉलिएस्टर	एनईएस

7. हितबद्ध पक्षकार, इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, दें।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, और दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसीलिए, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

9. यह आवेदन-पत्र एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

10. ग्रैबटेक फैब्रिक्स एलएलपी, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल और संरेहा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है और संगत आंकड़ों के साथ समर्थन पत्र प्रदान किया है। एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है, लेकिन कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है।

11. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वह नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

12. आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। आवेदक के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है।

13. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखा जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

14. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ड. <u>जांच की अवधि</u>

15. वर्तमान जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) है। प्राधिकारी ने जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जाँच अवधि में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि तथा जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

i. सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उसके संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित कोड नहीं है। इसलिए, आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

18. जांच की शुरुआत के प्रयोजनाथ, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

19. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय, गौण पैकेजिंग, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी भी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क</u>

21. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मानपडों से संबंधित सूचना दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। आवेदक की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

22. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में उसमें प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

24. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@nic.in और adv13-dgtr@gov.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर किए जाने चाहिएं।

26. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/**) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ट. **समय सीमा**

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@nic.in और adv13-dgtr@gov.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर दस्तावेज़ों का अगोपनीय रूपांतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के राजनयिक उपयुक्त प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जंच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

32. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

33. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट किया गया हो, जहां सूचीकरण संभव न हो, और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सार किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।

36. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली,1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।

37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनी रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

40. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ङ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उचित समझे।

च. <u>असहयोग</u>

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 27th September, 2025

<u>Case No.-AD (OI)–44/2025</u>

<u>Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon from China PR.</u>

1. **<u>No. 6/49/2025-DGTR</u>**:Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"), SRF Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") from China PR ("subject country").

2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. <u>Product under consideration</u>

3. The product under consideration is Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon in any combination, excluding Chafer fabric.

4. It is also known as Rubberized Textile Fabric (RTF) or Conveyor Belt Fabric (CBF). Belting fabrics can be made from various types of materials such as polyester yarns, nylon yarns, cotton, polypropylene etc. The scope of the product under consideration covers those belting fabrics in which either polyester or nylon are 80% or more in any combination.

5. The subject goods do not have a dedicated code and are classifiable under subheading 5906 99 90 of Chapter 59, Customs Tariff Act.

6. The applicant has proposed the below PCN methodology.

SN	Warp 1	Warp 2	Weft	PCN code
1	Polyester	--	Polyester	EE
2	Polyester	Polyester	Polyester	EEE
3	Polyester	--	High Elongation Polyester	EEH
4	Polyester	High Elongation Polyester	High Elongation Polyester	EHH
5	Polyester		Spun polyester	EES
6	Nylon 6	--	Nylon 6	NN
7	Nylon 6	--	Spun Polyester	NES

7. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. <u>Like article</u>

8. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject country, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. <u>Domestic industry and standing</u>

9. The application has been filed by SRF Limited.

10. Grabtech Fabrics LLP, Madura Industrial Textile and Sanreha Technical Textiles Limited have provided their support to the application and provided support letter with relevant data. NRC Industries Limited has provided support to the application but not provided any data.

11. The applicant has certified that it is not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) the Rules. The applicant has not imported the product under consideration.

12. The applicant is one of the major producers of the subject goods in India. The production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India.

13. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject country

14. The subject country for the present anti-dumping investigation is China PR.

E. Period of investigation

15. The period of investigation for the present investigation is 1st April 2024 – 31st March 2025 (a period of 12 months). The injury investigation period will cover the period of 2021-22, 2022-23 and 2023-24 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

16. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

17. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. With regards to the price at which the product under consideration has been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicant submitted this information is not available as the product under consideration does not have a dedicated code. Therefore, the applicant has determined normal value for product under consideration based on cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

18. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

ii. Export price

19. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, handling charges and credit cost.

iii. Dumping margin

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the de minimis level but is also significant. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. Evidence of injury and causal link

21. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased in absolute terms over the injury period. There is positive price undercutting and price depression effect on the prices of the applicant. The applicant has incurred decline in its profitability and return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

H. Initiation of anti-dumping investigation

22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd11-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in with a copy to consultant-dgtr@govcontractor.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

25. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. Time limit

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses jd11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and with a copy to consultant-dgtr@govcontractor.in and adv13-dgtr@gov.in. within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification

L. Submission of information on confidential basis

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

33. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’ information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

36. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

N. Non-cooperation

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.30 15:47:04 +05'30'